



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षासदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

“ShikshaSadan”, 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./सं.स.एवं प्र.(शै.एवं प्र.)/2015

परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-39/2015

दिनांक: 8 जुलाई, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध

सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए (जहाँ फ्रेंच का अध्यापन होता है)

विषय: कक्षा X के लिए फ्रेंच भाषा की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में (वर्ष 2015-16)

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2015-16 की कक्षा X हेतु फ्रेंच भाषा की पाठ्यपुस्तक 'Entre Jeunes' को संशोधित किया है। संशोधित पुस्तक में पहले पुस्तक के 10 पाठों के स्थान पर 12 पाठ हैं अतः पहले 6 पाठ प्रथम योगात्मक परीक्षा और अन्तिम 6 पाठ द्वितीय योगात्मक परीक्षा में पढ़ाए जाएंगे। संशोधित संस्करण के.मा.शि.बो. की वेबसाइट तथा के.मा.शि.बो. के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकाशन स्टोर्स पर उपलब्ध है।

उपरोक्त पुस्तक की प्रति को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट www.cbseacademic.in से प्राप्त किया जा सकता है। इस पुस्तक की मुद्रित प्रतियाँ निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैं तथा इन कार्यालयों में पुस्तकों को मंगवाने के लिए आदेश किया जा सकता है:

1. मुख्य सहायक (प्रकाशन स्टोर्स) के.मा.शि.बो. के पीएस 1-2, इन्स्टिट्यूशनल एरिया आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 (दिल्ली के लिए)
2. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., शिल्पग्राम रोड, निकट शंकरदेव कलाक्षेत्र, पंजबाड़ी गुवाहटी-781037 (असम, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश)
3. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., टोडरमल मार्ग, अजमेर-305030 (राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, दादर और नगर हवेली के लिए)
4. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., 35-बी, सिविल स्टेशन, एम.जी.मार्ग, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद-211001 (उत्तर प्रदेश के लिए)
5. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., सेक्टर 5, पंचकूला, हरियाणा-134152 (हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, जम्मू और काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए)
6. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., नयी संख्या-3 (पुरानी 1630A) जे ब्लाक 16वीं मेन रोड, अन्ना नगर (पश्चिम) चेन्नई 60040 (तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, अण्मान-निकोबार द्वीप, दमन और दियू)
7. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., अम्बिका काम्पलेक्स, स्टेट बैंक कालोनी के पीछे, ब्रह्मस्थान, शेखपुरा, राजा बाजार, बेली रोड, पटना-800014 (बिहार और झारखण्ड के लिए)
8. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., छठा तल, आलोक भारती काम्पलेक्स, शहीद नगर, भुवनेश्वर-7 (पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए)
9. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., ब्लाक बी, द्वितीय तल, जीवन बीमा निगम डिवीजनल ऑफिस केम्पस, पट्टम, थिरुवन्नतपुरम-695004 (केरल के लिए)
10. क्षेत्रीय अधिकारी, के.मा.शि.बो., 99 कौलगढ़ रोड, देहरादून उत्तराखण्ड-248001 (उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के लिए)

अदायगी के प्रकार

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम लिखे गए बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर स्वीकार किए जाते हैं अथवा आदेश के साथ प्रेषित नकद राशि भी स्वीकार की जाती है।
2. प्रत्येक प्रकाशन के समक्ष दिखाए गए मूल्य के अतिरिक्त डाक-व्यय अलग से लिया जाएगा।
3. पैकिंग का खर्च 3% अतिरिक्त होगा।

इस सूचना को वर्ष 2015-16 के कक्षा IX और X के प्रत्येक अध्यापक और विद्यार्थी के ध्यान में लाया जाए जो फ्रेंच विषय के अध्यापन अथवा अध्ययन से सम्बन्धित हैं।

भवदीय

हस्ताक्षरित/-
अल हिलाल अहमद

संयुक्त निदेशक

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक